



2026:AHC:24943-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या – 1620/2026

मुकेश एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दीपक प्रजापति, सौरभ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अरविंद श्रीवास्तव, अवधेश तिवारी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश तिवारी को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 04.01.2026 की प्राथमिकी को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे पुलिस स्टेशन बरदह, जनपद आजमगढ़ में केस अपराध संख्या 0002 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 115(2), 109, 110, 118(1), 352, 351(3) के तहत मामला उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के संबंध में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण तीन व्यक्तियों/पीड़ितों, यथा राहुल, नवीन और अमित को गंभीर चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है।
6. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 के मामले में निर्धारित कानून और माननीय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शीर्ष अदालत के हालिया निर्णय क्रिमिनल अपील संख्या **843** वर्ष **2024** प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य के आलोक में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण तीन व्यक्तियों/पीड़ितों, यथा राहुल, नवीन और अमित को गंभीर चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए और तीनों व्यक्तियों/पीड़ितों राहुल, नवीन और अमित के शरीर पर पाई गई चोटों को नोट करते हुए, हमारी यह राय है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्र विचार कर निस्तारण किया जाएगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"